BARC Team
Dr. Subrata Dutta
Vijay Goyal
Radha Mohan Jogi

Adviser
Dr. Ginny Shrivastava

The Links : Policy to People and People to Policy

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org

Printed at : kalpanasgr@hotmail.com

राजस्थान में फसल बीमा

सुधार की आवश्यकता

नगेन्द्र सिंह

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जयपुर

BARC Working Paper No. 3
September 2006

राजस्थान में फसल बीमा

सुधार की आवश्यकता

नगेन्द्र सिंह

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जयपुर

बी.ए.आर.सी. वर्किंग पेपर नं. 3

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : सितम्बर, 2006

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट, जयपुर

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा सीमित प्रसार एवं नि:शुल्क वितरण के लिए प्रकाशित।

भूमिका

फसल बीमा किसानों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाना है, जिससे किसान प्राकृतिक आपदा से कृषि उत्पादों के नष्ट होनें से निराश न हों तथा आगे अपना कृषि कार्य जारी रख सकें एवं उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इसी योजना की धरातल पर सच्चाई जानने के लिए बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने एक सैम्पल सर्वे कर आंकड़े एकत्र किये हैं एवं उनका विश्लेषण किया है।

फसल बीमा के बारे में एकत्र आंकड़ों से इसकी कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। जिसके चलते किसान फसल बीमा को लेकर उतना उत्साह नहीं दिखा रहे जितना की होना चाहिए। इसके अनेक कारण हैं इनमें बीमा के प्रीमियम को लेकर किसानों को सही जानकारी नहीं होना, प्रीमियम का अधिक होना, योजना का सही ढंग से प्रचार–प्रसार नहीं होना आदि। इन्हीं सब विषयों पर हमने अपने अध्ययन में विश्लेषण करने का प्रयास किया है साथ ही कैसे फसल बीमा ओर अधिक से अधिक किसानों के लिए लाभदायक बन सकती है, इसको विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है।

आशा है इस पुस्तिका से फसल बीमा के बारे में जिज्ञासू लोगों को जानकारी मिलेगी साथ ही फसल बीमा की जमीनी हकीकत को समझने का अवसर मिलेगा।

अनुक्रमणिका

1. फसल बीमा 7
2. फसल बीमा के प्रकार 7
3. भारत में फसल बीमा योजना 7
4. पायलेट फसल बीमा योजना 9
5. व्यापक फसल बीमा योजना 9
6. प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना 9
7. राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 10
   - (i) राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के उद्देश्य 10
   - (ii) योजना की प्रमुख विशेषताऐं 10
   - (iii) कवर की गई फसलें 10
   - (iv) कवर किए जाने वाले क्षेत्र 11
   - (v) कवर किए जाने वाले किसान 11
   - (vi) कवर किए गए जोखिम एवं अपवाद 11
   - (vii) बीमित राशि/कवरेज की सीमा 11
   - (viii) प्रीमियम दरें 12
   - (ix) प्रीमियम हेतु राज्य सहायता 12
   - (x) जोखिम का बंटवारा 13
   - (xi) क्षेत्र दृष्टिकोण एवं बीमा की इकाई 13
   - (xii) मौसम संबंधी विषय स्थितियां 13
   - (xiii) फसल पैदावार के अनुमान 14
   - (xiv) क्षतिपूर्ति तथा न्यूनतम पैदावार के स्तर 14
   - (xv) कवरेज तथा क्षतिपूर्ति की प्रकृति 15
   - (xvi) स्थानीय जोखिमों के मामले में क्षतिपूर्ति 15
   - (xvii) दावों की स्वीकृति तथा उनके निपटान की प्रक्रिया 15
   - (xviii) प्रशासन तथा प्रचालन (ए एवं ओ) व्यय के मामले में वित्तीय सहायता 16
   - (xix) कार्पस कोष 16
   - (xx) योजना का प्रबंधन, मॉनीटरिगं तथा पुनरीक्षा 16
   - (xxi) क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण 17
   - (xxii) योजना से अपेक्षित लाभ 17

8. बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा अध्ययन 19
9. तहसील जहां से सेम्पल लिए गए 19
10. किसानों के पास खेती की कुल जमीन 19
11. किसानों के पास पशुधन 21
12. किसानों की पशुपालन से आय 22
13. फसल के बारे में जानकारी 25
14. किसानों की बीमा के बारे में जानकारी 27
15. बीमा से लाभ 28
16. पशु का बीमा नहीं करवाने के कारण 29
17. पशु का बीमा करवाने के कारण 29
18. किसान की फसल बीमा के बारे में जानकारी 31
19. प्रीमियम में अनुदान के बारे में जानकारी 32
20. खेती के अलावा दूसरा कार्य करने के बारे में जानकारी 35
21. कौनसा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं ? 36
22. पशु / फसल बीमा योजना के बारे में किसानों के विचार 36
23. पशु बीमा / फसल बीमा के बारे में महिला किसानों के सुझाव 36
24. खरीफ 2003–04 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 37
25. रबी 2003–04 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 38
26. खरीफ 2004–05 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 39
27. रबी 2004–05 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 40
28. खरीफ 2005–06 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 41
29. रबी 2005–06 में फसल बीमा से जिलेवार लाभान्वित किसान 42
30. फसल कृषि कर्म पर राजस्व व्यय 43
31. फसल बीमा पर राज्य का राजस्व व्यय 44

iQIy chek

कृषि व्यवसाय प्रकृति कि अनिश्चिताओं जैसे – बाढ, सूखा, आग, ओलावृष्टि, तूफान, कीड़े–मकोड़े एवं अन्य विभिन्न रोगों से समय–समय पर गंभीर रूप से प्रभावित होता रहता है। इन अनिश्चितताओं से कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय में भी अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी दशा में किसान कभी–कभी अपनी उत्पादन लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से फसल खराब या नष्ट होने की स्थिति में कृषक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषकों को राहत दिलाने के लिए भारत में फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई। फसल बीमा एक ऐसी बीमा योजना हैं जिसके अन्तर्गत, कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप उनकी फसल के नष्ट हो जाने से उत्पन्न ऋण ग्रस्तता एवं बर्बादी से रक्षा करती है। प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप फसलों को होने वाली हानि से रक्षा करने तथा किसानों को वित्तीय सुविधा प्रदान कर अगले मौसम में उनकी ऋण पात्रता बनाए रखने के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है। फसल बीमा के अन्तर्गत कृषकों को फसलों से होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए प्रीमियम कि राशि का भुगतान करके जोखिम बीमा कम्पनी पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। फसलों का बीमा कराने के पश्चात प्राकृतिक प्रकोपों से यदि फसलों को किसी प्रकार कि क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कृषक को बीमा कम्पनी करती है।

फसल बीमा के प्रकार :–

राज्य में फसल बीमा दो प्रकार से किया जाता है :–

ऐच्छिक बीमा :– यह बीमा किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है। किसान चाहे तो अपनी फसल का बीमा कराए अथवा न कराए।

अनिर्वाय बीमा :– इस बीमा के अन्तर्गत सभी किसानों को जिन्होने फसली ऋण लिया है उन्हे अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य होता है।

भारत में फसल बीमा योजना :–

भारत में फसल बीमा योजना लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा बनाई गई भूमि नीति, कृषि श्रम एवं बीमा उप–समिति ने दिया था। मध्यप्रदेश के देवास गांव में सर्वप्रथम अनिवार्य फसल बीमा योजना प्रारम्भ कि गई,

परन्तु कुछ समय पश्चात यह योजना स्थगित कर दी गई। वर्ष 1946 में नारायण स्वामी नायडू की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण ऋण जांच समिति ने फसल बीमा योजना को अमेरिका की फेडरल फसल बीमा पद्धति के अनुरूप लागू किए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सहकारी नियोजन समितियों ने राज्य स्तर पर फसल एवं पशु बीमा योजना को संचालित करने की स्तुति की जिसे वर्ष 1947 में सहकारी समितियों के निबंधको के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया। 1948 में कृषि एवं खाद्य मंत्रालय ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फसल एवं पशु बीमा लागु करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए डॉ.जी.एस. प्रियोल्कर को नियुक्त किया। डॉ. प्रियोल्कर ने कुछ चुनी हुई फसलों तमिलनाडु में धान एवं कपास, महाराष्ट्र में कपास, मध्य प्रदेश में गेंहूँ व चावल तथा उत्तर प्रदेश में चावल, गेंहूँ व गन्ना में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का सुझाव प्रस्तुत किया।

इस सुझाव पर विशेषज्ञों ने अपना मत व्यक्त किया कि फसल बीमा का 50 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाए, पर राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में रूची न लेने के कारण फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन संभव न हो सका। वर्ष 1947 में दिल्ली में सम्पन्न हुए एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन की कार्यकारी समिति ने भी अपनी 1956 की बैठक में फसल बीमा योजना लागू करने का सुझाव प्रस्तुत किया।

पर इन सभी सुझावों व प्रयासों के पश्चात् भी फसल बीमा योजना की दिशा में कोई प्रगति संभव न हो सकी।

1960 से 65 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप फसलों के उत्पादन में आई गिरावट से फसल बीमा योजना को बल प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप 1968 में केन्द्रीय खाद्य व कृषि मंत्रालय द्वारा अनिवार्य फसल बीमा योजना का प्रस्ताव राज्य सरकारों को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया गया कि सभी सरकारें इसे अपने प्रदेश में लागू करें, पर राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते यह योजना व्यवहार में नहीं लाई जा सकी।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। जनवरी, 1973 के पूर्व एक फसल बीमा योजना गुजरात राज्य में जीवन बीमा निगम द्वारा कपास की शंकर किस्म 4–के लिए चलाई गई थी। वर्ष 1974–75 में भारतीय सामान्य बीमा निगम से 10 प्रायोगिक फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में कपास, गेंहूँ व मूंगफली की फसलों के लिए प्रारम्भ की गई। भारतीय सामान्य बीमा निगम को वर्ष 1973 से 1976 के दौरान फसल बीमा योजनाओं से मात्र 3.38 लाख रूपये की प्रीमियम राशि प्राप्त हुई जबकि निगम द्वारा इस काल में 36.06 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना के परिणाम उत्सावर्धक नहीं रहे। देश में अब तक संचालित कृषि बीमा योजनाएं अग्रलिखित प्रकार से हैं :–

पायलट फसल बीमा योजना :–

1979 में राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय सामान्य बीमा निगम ने पायलट फसल बीमा योजना प्रारम्भ की। यह योजना वर्ष 1982–83 की खरीफ मौसम में 9 राज्यों – आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में लागू की गई। सामान्य बीमा निगम ने इन राज्यों में खरीफ की फसल के लिए वर्ष 1982–83 में 4 करोड़ रूपये की बीमा अभिरक्षा धान, ज्वार, मूंगफली, कपास व मक्का के उत्पादक किसानों को प्रदान की। प्रति किसान बीमे की अधिकतम सीमा 2,000 रूपये प्रति वर्ष से बढाकर 5,000 रूपये व कम जोखिम वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए योजना में आवश्यक संशोधन किया गया जिससे योजना किसानों में अधिक लोकप्रिय हो सके। सम्पूर्ण देश में बीमाकृत राशि 6.5 करोड़ रूपये से बढकर 12 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष कर दी गई। वर्ष 1981–82 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान प्रीमियम की धनराशि 20 लाख रूपये थी जबकि इस काल में निपटाए गऐ दावों की धनराशि 16 लाख रूपये थी। वर्ष 1983–84 तक इस योजना को 12 राज्यों ने स्वीकार किया, फिर भी देश के मात्र 600 प्रखंडों में ही लागू की सकी।

व्यापक फसल बीमा योजना :–

सन् 1985 में खरीफ मौसम से देश में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई। इस बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को होने वाली हानि से राहत दिलाने तथा संस्थागत अभिकरणों से प्राप्त ऋणों का समय से भुगतान सामर्थ्य बनाए रखना है। इस योजना में बीमित राशि फसल ऋण के बराबर होती है जो प्रति किसान अधिकतम 10 हजार रूपये निर्धारित की गई है।

इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1985 से 1997–98 के रबी मौसम तक लगभग 6.45 करोड़ किसानों को इस योजना में शामिल किया गया। संदर्भित समय के अन्तर्गत लगभग 313 करोड़ रूपये संग्रहित प्रीमियम की तुलना में 1623 करोड़ रूपये के दावों का भुगतान किया गया।

भारतीय सामान्य बीमा निगम केन्द्र व राज्य सरकारों की ओर से इस योजना को संचालित करता है। प्रीमियम एवं दावों में भारत सरकार व सम्बन्धित राज्य सरकार का हिस्सा 2 : 1 के अनुपात में होता है। उल्लेखनीय है कि 1623 करोड़ रूपये के अखिल भारतीय दावों में से अकेले गुजरात राज्य के एक अकेली मूंगफली फसल के लिए दावों की क्षतिपूर्ति के रूप में 972 करोड़ रूपये प्राप्त किए जो कुल दावों के भुगतान का 48.8 प्रतिशत है।

प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना :–

वर्ष 1997–98 में रबी की फसल के दौरान भारत सरकार द्वारा एक प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत कुछ चुने हुए जिलों में विशिष्ट

फसल पैदा करने वाले ऋणी छोटे व सीमांत किसानों को शामिल किया गया। यह योजना 5 राज्यों के 14 जिलों में कार्यान्वित की गई। प्रीमियम और दावे दोनों में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के हिस्से का अनुपात 4 : 1 निर्धारित किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 में रबी के मौसम में लगभग 4.78 लाख किसानों को सम्मिलित कर 172 करोड़ रूपये का बीमा किया गया। इस दौरान कुल 2.86 करोड़ रूपये का प्रीमियम एकत्र किया गया और इसमे दावों की कुल राशि लगभग 39.78 करोड़ रूपये थी। यह योजना वर्ष 1998 की खरीफ फसल से स्थगित कर दी गयी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :–

पूर्व संचालित व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करते हुए 22 जून 1999 (रबी 1999–2000) से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़, चक्रवात, आग व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट व बीमारियों के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना ऋणी व गैर–ऋणी सभी किसानों के लिए स्वीकार की गई है। इस नई योजना में सभी खाद्यान फसलों तथा मोटे अनाज, ज्वार बाजरा व दाल, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों जिनके संबंध में कई वर्षों के पिछले उत्पादन संबंधी आकड़ें उपलब्ध हैं, को सम्मिलित किया गया है। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी तथा मिर्च जैसी सात फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है। अन्य सभी फसलों को पिछले उत्पादन आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त पर तीसरे वर्ष में बीमा कवच के अधीन रखा जाएगा।

उद्देश्य :

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

1. प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।
2. किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।
3. विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

योजना की प्रमुख विशेषताऐं :–

1. कवर की गई फसलें :–

निम्नलिखित वर्गों की फसलें, जिनके संबंध में

(1) पर्याप्त वर्षों के लिए फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व आंकड़े उपलब्ध हैं।

(2) प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं :–

(क) खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न एवं दलहन)

(ख) तिलहन

अन्य वार्षिक नकदी / बागवानी फसलों को पूर्व उत्पादकता आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त के अधीन, अगले तीन वर्षों की अवधि में कवर किया जाएगा। लेकिन, अगले साल कवर की जाने वाली फसलों के नाम पिछले वर्ष की समाप्ति के पहले ही दे दिए जाएंगे।

2. कवर किए जाने वाले क्षेत्र :

यह योजना राज्य की सभी तहसीलों में लागू की गयी है।

3. कवर किए जाने वाले किसान :

संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान कवर किए जाने के योग्य हैं।

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के किसानों को कवर किया जाएगा।

(क) अनिवार्य आधार पर : वे सभी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहें है,

जैसे – ऋणी किसान।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर : संसूचित फसल उगाने वाले सभी अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं। जैसे–गैर ऋणी किसान

4. कवर किए गए जोखिम एवं अपवाद :

व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध्य जोखिम के कारण होने वाली उत्पादकता में क्षति के मुहैया किया जाएगा जैसे :–

1. प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना
2. तूफान, ओला, चक्रवात, टाइफून, समूद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
3. बाढ़, जल प्लावन एवं भू–स्खलन।
4. सूखा, शुष्क अवधि।
5. कृमि / रोग इत्यादि।

युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को इससे बाहर रखा जाएगा।

5. बीमित राशि / कवरेज की सीमा :

बीमित राशि, कवर किए गए किसानों की इच्छा के अनुसार बीमित फसल के एक

निश्चित उपज स्तर के मूल्य तक बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल, कोई किसान वाणिज्यिक दरों पर प्रीमियम के भुगतान द्वारा अपनी फसल का बीमा निश्चित पैदावार स्तर से अधिक तक अर्थात संसूचित क्षेत्र के औसत उपज के 150 प्रतिशत तक के मूल्य पर भी करवा सकता है।

ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि कम से कम दिए गए फसल ऋण की राशि के बराबर होगी। इसके अलावा ऋणी किसानों में बीमा प्रभार, ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए गए धन के अतिरिक्त होगा। फसल ऋण वितरण प्रक्रिया के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के दिशानिर्देश मानना अनिवार्य होगा।

6. प्रीमियम दरें

rkfydk ua- 1

क्र.स.	मौसम	फसलें	प्रीमियम की दरें
1.	खरीफ	बाजरा एवं तिलहन अन्य फसलें (अनाज, अन्य दलहन)	बीमित राशि का 3.5 प्रतिशत या वास्तविक दर इनमें जो भी कम हो बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत या वास्तिविक दर इनमे जो भी कम हो
2.	रबी	गेहूं अन्य फसलें(अन्य अनाज कदन्न, दलहन एवं तिलहन) वार्षिक नगदी	बीमित राशि का 1.5 या वास्तविक दर इनमें जो भी कम हो बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर इनमें जो भी कम हो
3.	खरीफ एवं रबी	वार्षिक बागवानी फसलें	वास्तविक दर

वास्तविक दर को राज्य सरकार की इच्छानुसार तहसील स्तर पर लागू किया जाएगा।

7. प्रीमियम हेतु राज्य सहायता

छोटे एवं सीमांत किसानों (जिनकी जोत 2 हैक्टर या इससे कम हो) के संदर्भ में 50 प्रतिशत राज्य सहायता दिए जाने की अनुमति है जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाएगा। प्रीमियम राजसहायता को 5 वर्षों की अवधि में क्रमशः घटाए जाने के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए वर्तमान में प्रीमियम में 10 प्रतिशत राज सहायता दिए जाने की अनुमति है जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर वहन किया जाएगा। यह राज्य सहायता ऋणी तथा गैर ऋणी दोनों श्रेणियों के लघु व सीमान्त किसानों पर लागू होगी ।

छोटे एवं सीमांत किसानों की परिभाषा इस प्रकार है :–

छोटे किसान : वे कृषक जिनकी जोत का आकार 2 हैक्टयेर (5 एकड़) या उससे कम हो।

सीमांत किसान : एक हैक्टेयर (2.5 एकड़) या उससे कम जोत रखने वाला किसान।

8. जोखिम का बंटवारा

सरकार एवं क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा जोखिम का निम्नलिखित अनुपात में बंटवारा किया जाएगा।

(क) खाद्य फसलें एवं तिलहन :

जब तक 5 वर्षों की अवधि में वास्तविक दर व्यवस्था में पूर्ण स्थानांतरण नहीं हो जाता, 100 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम के दावों को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद सभी सामान्य दावे अर्थात 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम के 150 प्रतिशत तक के दावे क्रियान्वयन ऐजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे और 150 प्रतिशत से अधिक के दावों का वहन कार्पस कोष में से किया जाएगा। तीन वर्ष की इस अवधि के बाद 200 प्रतिशत तक के दावे क्रियान्वयक द्वारा वहन किये जाएंगे तथा उससे अधिक के दावे कार्पस कोष से वहन किए जाएंगे।

(ख) वार्षिक नकदी फसलें / वार्षिक बागवानी फसलें :

क्रियान्वयक अभिकरण सभी हानियों को वहन करेगा, यानि संतोषजनक दावे किए जाने की शर्त के अधीन पहले तीन वर्षों में प्रीमियम के 150 प्रतिशत तक के दावे और इसके बाद प्रीमियम के 200 प्रतिशत तक के दावे। पहले तीन वर्षों के प्रीमियम के 150 प्रतिशत से अधिक के दावों एवं उसके बाद 200 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम के दावों का भुगतान कार्पस कोष से किया जाएगा। लेकिन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 3 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष के कार्यान्यवन के वित्तीय परिणामों के आधार पर समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक समझा गया तो इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जाएगा।

भंयकर नुकसानों को पूरा करने के लिए एक कार्पस कोष का निर्माण किया गया है जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकारें 50–50 प्रतिशत के आधार पर योगदान करेंगी।

आपदा राहत कोष के एक अंश का उपयोग इस कार्पस कोष में योगदान के लिए किया जाएगा।

9. क्षेत्र दृष्टिकोण एवं बीमा की इकाई :

योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापाक आपदाओं के लिए प्रत्येक संसूचित फसलों के लिए निश्चित क्षेत्र आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा जबकि स्थानीय आपदाओं जैसे ओला, भूस्खलन, चक्रवात एवं बाढ़ के लिए निजी आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य में बीमा के लिए इकाई क्षेत्र तहसील रखा गया है। स्थानीय आपदाओं के मामले में व्यक्ति आधारित आकलन प्रारम्भ में प्रायोगिक आधार पर सीमित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा और इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर बढ़ाया जाएगा। हानि के परिणाम के आकलन में जिला राजस्व प्रशासन क्रियान्वयक अभिकरण का सहयोग करेगा।

10. मौसम संबंधी विषय स्थितियां :

(क) ऋणी किसानों के लिए अग्रलिखित मौसम संबंधी स्थितियां रहेंगी :

rkfydk ua- 2

गतिविधि	खरीफ	रबी
ऋण लेने की अवधि	अप्रैल से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि	नवंबर	मई
उत्पादकता, आंकड़े प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि	जनवरी / मार्च	जुलाई / सितंबर

(ख) गैर ऋणी किसानों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित अंतिम तिथियां हैं :

क खरीफ मौसम : 31 जुलाई

ख रबी मौसम : 31 दिसम्बर

लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के साथ विचार–विमर्श करने के बाद मौसम संबंधी इन विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है।

11. फसल पैदावार के अनुमान :

राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों तथा बीमा दोनों के लिए फसल कटाई प्रयोगों और परिणात्मक पैदावार अनुमानों की एक ही श्रृंखला तैयार रखेगी।

फसल कटाई प्रयोग प्रति तहसील प्रति फसल के अनुसार परिकलन मानदंड पर किया जाएगा। राज्य सरकार फसल उपज का अनुमान लगाने के लिए अधिसूचित बीमा इकाइयों में सभी अधिसूचित फसलों के लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग के लिए योजना बनाएगी और उनका आयोजन करेगी। राज्य सरकार उन फसलों को अधिसूचित करेगी जहां तहसील स्तर पर न्यूनतम संख्या में 16 फसल कटाई प्रयोग आयोजित किये जाएंगे।

फसल कटाई प्रयोगों का आकार तथा सभी अन्य तकनीकी मामलों के निर्धारण के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एन.एस.एस.ओ. कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) तथा आई.ए. के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

12. क्षतिपूर्ति तथा न्यूनतम पैदावार के स्तर :

कम जोखिम, मध्यम जोखिम तथा अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के अनुसार क्षतिपूर्ति से तीन स्तर अर्थात 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत पिछले 10 वर्ष के उपज में आंकड़ों में विचलन के गुणांक (सी.वी.) के आधार पर सभी फसलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन तहसील के बीमित किसानों के लिए वास्तविक दरों पर आधारित प्रीमियम के भुगतान पर क्षतिपूर्ति के उच्च स्तर का विकल्प होगा।

तहसील में किसी फसल के लिए प्रारम्भिक पैदावार या गारंटीशुदा पैदावार, चावल और गैंहूँ के मामले में पिछले तीन साल की औसत पैदावार का संचालन औसत है तथा अन्य फसलों के मामले में पाँच वर्षों की औसत उपज, क्षतिपूर्ति के स्तर से गुणित, के आधार पर संचालक औसत है।

12. कवरेज तथा क्षतिपूर्ति की प्रकृति

यदि बीमे वाले मौसम में तहसील (फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर) के लिए बीमित फसल की प्रति हैक्टेयर "वास्तविक पैदावार" विनिर्दिष्ट "प्रारंभिक पैदावार" से कम रहती है, तो उस तहसील में उस फसल के उत्पादक सभी किसानों की पैदावार में कमी माना जाएगा। इस प्रकार की आकस्मिकता के लिए यह योजना निम्नलिखित कवरेज प्रदान करेगी :

'क्षतिपूर्ति' को निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा :

$$\frac{\text{पैदावार में कमी}}{\text{प्रारंभिक पैदावार}} \times \text{किसान के लिए बीमित राशि}$$

(परिभाषित क्षेत्र के लिए उपज में कमी = प्रारंभिक पैदावार – वास्तविक पैदावार)

13. स्थानिय जोखिमों के मामले में क्षतिपूर्ति :

स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात तथा बाढ़ के मामलों में जहां दावों का निपटारा व्यक्तिगत आधार पर होना है, क्षति का अनुमान तथा संशोधित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को, राज्य सरकार के समन्वय से, कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा संपादित किया जाएगा।

कुछ चुने हुए क्षेत्रों में व्यक्तिगत आधार पर स्थानीय जोखिम से हुई क्षति के अनुमान का प्रयोग किया जाएगा तथा व्यवहारिक अनुभव प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। क्षति की सीमा का अनुमान लगाने में जिला राजस्व प्रशासन क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा।

14. दावों की स्वीकृति तथा उनके निपटान की प्रक्रिया

विहित अंतिम तारीखों के अनुसार राज्य सरकार से एक बार पैदावार आंकड़े प्राप्त होने पर दावों पर विचार किया जाएगा तथा क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा।

दावों के विवरण के साथ दावा संबंधी चैकों को संबंधित नोडल बैंकों को भेज दिया जाएगा। आगे यह बैंक निचले स्तर पर अलग–अलग किसानों के खातों में जमा करेगा तथा अपने सूचना–पट पर लाभार्थियों का विवरण रखेगा।

स्थानीय परिदृश्य जैसे–ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात तथा बाढ़ के मामले में, किसानों को व्यक्तिगत रूप से हुए ऐसे नुकसानों के अनुमान के लिए क्रियान्वयक अभिकरण कृषि और राज्य के परामर्श से एक प्रक्रिया आरंभ करेगा। ऐसे दावों का निपटान क्रियान्वयक अभिकरण तथा बीमित व्यक्ति के बीच व्यक्तिगत आधार पर होगा।

15. प्रशासन तथा प्रचालन (ए एवं ओ) व्यय के मामले में वित्तीय सहायता :

प्रशासन तथा प्रचालन व्यय में केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकार की निरंतर घटते आधार (प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 60 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 40 प्रतिशत तथा पांचवें वर्ष में 20 प्रतिशत तथा इसके बाद शून्य) पर बराबर भागीदारी होगी।

16. कार्पस कोष

भयंकर नुकसानों की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार से 50:50 के आधार पर अंशदान से एक कार्पस कोष बनाया जाएगा। आपदा राहत कोष के एक हिस्से के आधार पर अंशदान से एक कार्पस कोष बनाया जाएगा। आपदा राहत कोष का एक हिस्सा कार्पस कोष के अंशदान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

17. पुनर्बीमा कवर :

क्रियान्वयक करने वाला अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार में प्रस्तावित संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना के लिए उचित पुनः बीमा कवर प्राप्त करने के प्रयास करेगा।

18. योजना का प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा पुनरीक्षा

ऋणी किसानों के मामले में बैंक की वही भूमिका रहेगी जो व्यापक फसल बीमा योजना में थी। गैर ऋणी किसानों के संबंध में बैंक घोषणा–पत्रों के साथ प्रीमियम इकट्ठा करेंगे तथा विहित समय सीमा के भीतर क्रियान्वयक अभिकरण को भेज देंगे। वैसे जिन क्षेत्रों में क्रियान्वयक अभिकरण का आवश्यक बुनियादी ढांचा है, गैर–ऋणी किसान समय सीमा के भीतर घोषणा–पत्र के साथ प्रीमियम को सीधे ही क्रियान्वयक अभिकरण को भेज सकता है।

बैंकों का चयन भारतीय रिजर्व बैंक की (जहां सहकारी बैंकों का अच्छा नैटवर्क है) सर्विस एरिया एप्रोच के आधार पर या बैंकों के विकल्प पर होगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग, कृषि सांख्यिकी, एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहकारिता विभाग, राज्य सरकार का राजस्व विभाग सक्रिय रूप से भूमिका निभायेंगे।

योजना का क्रियान्वयन कृषि और सहकारिता विभाग के साथ परामर्श करते हुए क्रियान्वयक अभिकरण की प्रचालनात्मक निश्चयात्मकता के अनुसार होगा।

प्रत्येक फसल मौसम के दौरान, कृषि की स्थिति को राज्य में भली प्रकार से मॉनीटर

किया जाएगा। राज्य का कृषि विभाग तथा जिला प्रशासन एक जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति की स्थापना करेगा, जो बुवाई क्षेत्र, मौसम दशाओं, कृषि घटनाओं, फसल खराब होने की स्थिति (यदि कोई है) आदि की कृषि संबंधी स्थिति के ब्यौरे क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा तैयार किए जाएंगे।

19. क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए आने वाले समय में एक विशिष्ट संगठन की स्थापना की जाएगी। जब तक ऐसे किसी नए संगठन की स्थापना हो, तब तक भारतीय साधारण बीमा निगम क्रियान्वयक अभिकरण के रूप मे कार्य करना जारी रखेगा।

20. योजना से अपेक्षित लाभ :

इस योजना से निम्नलिखित अपेक्षित है :

- फसल उत्पादन के क्षेत्र में विकास का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम, जो फसल खराब हो जाने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि पद्धतियों तथा उच्च तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
- कृषि ऋण के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता।
- केवल बीमित किसानों को ही महत्त्वपूर्ण लाभ न दिलाकर, उत्पादन एवं रोजगार, बाजार शुल्क, कर इत्यादि तथा आर्थिक वृद्धि के लिए कुल वृद्धि बरकरार रखते हुए स्पिल ओवर एवं मल्टी प्लायर प्रभावों के जरिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संपूर्ण समुदाय को भी लाभ दिलाना।
- क्षति संबंधी आकलन की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाना तथा फसल उत्पादन के लिए व्यापक एवं शुद्व सांख्यिकी आधार तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य में खरीफ 2003 से प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास एवं ग्वार फसलों का चयन किया गया था। इस योजना में खरीफ 2003 के अन्तर्गत 6620 लघु/सीमान्त कृषकों एवं 12945 अन्य कृषकों द्वारा अपनी फसलें बीमित कराई गई। कुल प्रीमियम राशि 94.83 लाख रूपये कृषकों से वसूल किये गये। लघु/सीमान्त कृषकों द्वारा 6.08 करोड़ रूपये एवं अन्य कृषकों द्वारा 19.98 करोड़ रूपये की फसल बीमित कराई गई। जिसके बदले 126 कृषकों को 0.60 लाख रूपये का क्षतिपूर्ती का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रबी 2003–04 में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तारामीरा एवं जीरा फसलों का चयन किया गया। इस योजना में रबी मौसम 2003–04 के लिये कुल बीमित कृषकों की संख्या 39,735 थी जिनके द्वारा 14.69 लाख रूपये की कुल

प्रीमियम राशि कृषकों से प्राप्त हुई, तथा 381 कृषकों को 63 लाख रूपये का क्षतिपूर्ती भुगतान किया गया।

खरीफ 2004 में बीमा कम्पनी द्वारा 14 फसलें राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित की गई जिसके अन्तर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, चौला, मूंग, मोंठ उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, अरण्डी, तिल एवं ग्वार फसल को सम्मिलित किया गया। इस योजना में कुल बीमित कृषकों की संख्या 2572856 थी जिनसे 4236.83 लाख रूपये की कुल प्रीमियम राशि प्राप्त हुई तथा 103.64 लाख रू का प्रीमियम पर अनुदान दिया गया एवं 111 करोड़ रूपये का क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया।

रबी 2004–05 में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तारामीरा, जीरा, मसूर एवं धनियां फसलों का चयन किया गया। रबी 2004–05 में 4.45 लाख किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया एवं 46284 किसानों को 10.30 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया। खरीफ 2005 में विभाग द्वारा 14 फसलें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित की गई जिसके अन्तर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, चौला, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, अरण्डी, तिल एवं ग्वार फसल को सम्मिलित किया गया। इस योजना में खरीफ 2005 में कुल बीमित कृषकों की संख्या 16 लाख 66 हजार 628 थी जिनसे 4619.023 लाख रूपये की कुल प्रीमियम राशि प्राप्त हुई तथा 107.80 लाख रू. का प्रीमियम पर अनुदान दिया गया एवं 216 करोड़ 21 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया।

रबी 2005–06 में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तारामीरा, जीरा, मसूर एवं धनियां फसलों का चयन किया गया। रबी 2005–06 में 6.70 लाख किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया जिनसे 20 करोड़ 78 लाख रूपये कुल प्रीमियम राशि प्राप्त हुई तथा 29.96 लाख रुपये का प्रीमियम पर अनुदान दिया गया ।

खरीफ 2006 में विभाग द्वारा 10 फसलें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित की गई हैं जिसके अन्तर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, चौला, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, तिल एवं ग्वार फसल को सम्मिलित किया गया तथा धान, सोयाबीन, मूंगफली व अरण्डी को फसल बीमा योजना से बाहर किया गया है।

ctV vè;;u jktLFkku dsnz }kjk vè;;u

फसल बीमा के अध्ययन के लिए राज्य के 5 संभागों के 23 जिलों की 25 तहसीलों का अध्ययन किया गया। प्रत्येक तहसील से 8 सेम्पल लिए गए। सेम्पल लेने के लिए संभाग, जिलों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया तथा व्यवस्थित करने के पश्चात प्रत्येक दशवीं तहसील का चयन किया गया। 200 सेम्पल में से 60 प्रतिशत सेम्पल छोटे किसानों से लिए गए तथा 40 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए गए। इन्ही सेम्पल में से 50 प्रतिशत सेम्पल तहसील से 20 किमी से अधिक दूरी के दायरे से लिए गए तथा 50 प्रतिशत सेम्पल तहसील से 20 किमी से कम दूरी के दायरे से लिए गए।

rglhy tgka ls lsEiy fyx

rkfydk ua- 3

संभाग	जिला	तहसील
अजमेर	अजमेर	अजमेर
	भीलवाड़ा	बनेड़ा
		शाहपुरा
बीकानेर	नागौर	परबतसर
	बीकानेर	डूंगरगढ़
	चुरू	सुजानगढ़
	श्रीगंगानगर	घड़साना
जयपुर	अलवर	बानसूर
	भरतपुर	बयाना
	धौलपुर	बसेड़ी
	जयपुर	आमेर
		साम्भर
	सीकर	फतेहपुर
जोधपुर	बाडमेर	रामसर
	जालौर	रानीवाड़ा
	पाली	बाली
	सिरोही	पिण्डवाड़ा
कोटा	बारां	मांगरोल
	झालावाड़	खानपुर
	कोटा	दीगोद
	सवाईमाधोपुर	मलारनाडूंगर
उदयपुर	चित्तौड़गढ़	भदेसर
	डूंगरपुर	आसपुर
	राजसमन्द	रेलमगरा
	उदयपुर	सराड़ा

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा किये गए अध्ययन से कुछ तथ्य निकल कर आए जो निम्न है :–

fdlku ds ikl [ksrh dh dqy tehu

rkfydk ua- 4

जमीन	2 है. तक		2 है. से अधिक		कुल जमीन			
	स्वयं	बटाई	स्वयं	बटाई	स्वयं	बटाई	2 है. तक	2 है. से अधिक
असिंचित	55	6	38	2	93	8	61	40
सिंचित	88	3	13	2	101	5	91	15
कुल	143	9	51	4	194	13	152	55

fdlku ds ikl 2 gSDVj rd [ksrh ;ksX; tehu

xzkiQ &1

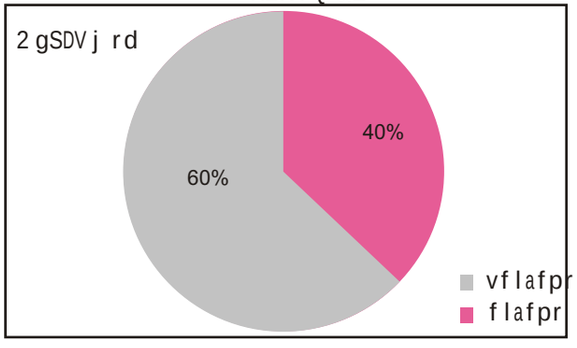

कुल 2 हैक्टर तक जमीन में से 60 % असिंचित तथा 40 % सिंचित जमीन है।

fdlku ds ikl 2 gSDVj ls vf/d [ksrh ;ksX; tehu

xzkiQ &2

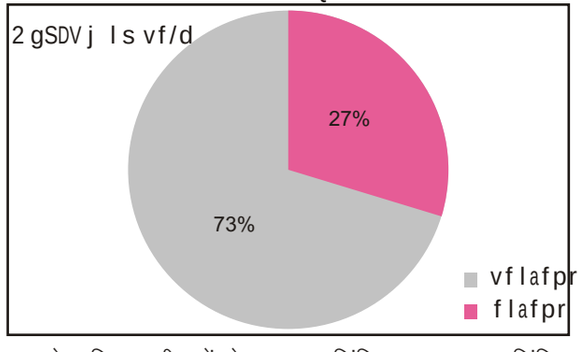

कुल 2 हैक्टर से अधिक जमीन में से 73 % असिंचित तथा 27 % सिंचित जमीन है।

fdlku ds ikl [ksrh ;ksX; dqy tehu

xzkiQ &3

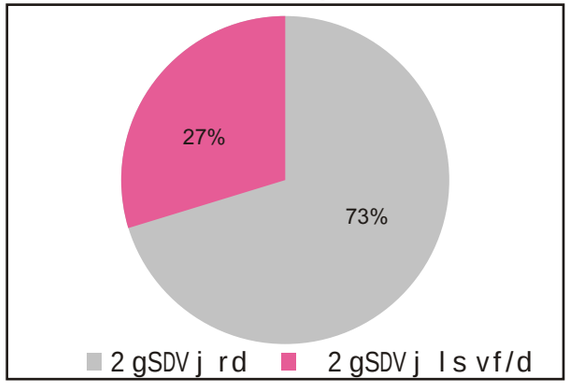

किसानों के पास 73% 2 हैक्टर तक जमीन है तथा 27% 2 हैक्टर से अधिक जमीन है।

fdlku ds ikl i'kq/u

rkfydk ua- 5

पशुधन	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	9	5
हां	191	95

fdlku ds ikl i'kq/u

xzkiQ &4

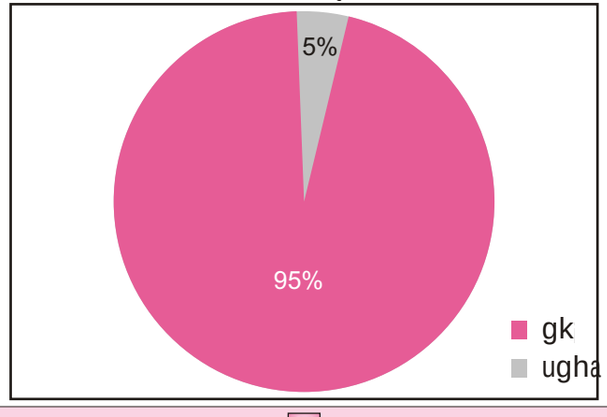

अध्ययन से यह सामने आया की गांव में 95 प्रतिशत किसान के पास पशुधन है जबकि 5 प्रतिशत किसानों के पास कोई पशुधन नहीं है। ये 5 प्रतिशत लोग खेतिहार मजदूर हैं जिनके खेत पर सिंचाई सुविधा नहीं है तथा इनके खेत का आकार एक हैक्टर से कम है इस कारण पशुपालन इनके लिए सम्भव नहीं है।

fdlku ds ikl fdruk i'kq/u gS

rkfydk ua- 6

सख्यां→	0	1	2	3	4	5	5–10	10–20	20 <	कुल	
पशुधन↓	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	j-a
गाय	80	57	40	7	7	4	3	2	0	200	120
भैंस	90	41	36	12	9	7	4	1	0	200	110
बकरी	91	35	22	18	4	8	16	2	4	200	109
भैड़	188	0	0	1	1	0	1	4	5	200	12
ऊँट	177	18	4	1	0	0	0	0	0	200	23
अन्य	196	4	0	0	0	0	0	0	0	200	4

अध्ययन से यह सामने आया है कि जो किसान पशुधन रखते हैं उनमें से 120 किसान गाय रखते हैं इनमें 47.5 प्रतिशत (57) किसान एक गाय रखते हैं तथा 33.33 प्रतिशत (40) किसान 2 गाय रखते हैं। इसी प्रकार जो पशुधन रखते हैं उनमें से 110 किसान भैंस पालते हैं, इसमें से 37.27 प्रतिशत किसान एक भैंस पालते हैं तथा 37.72 प्रतिशत किसान दो भैंस पालते हैं। बकरी पालने वालों में 4 तथा भैड़ पालने वालों में 5 किसान 20 से अधिक बकरी/भैड़ का समूह रखते हैं। पशुधन भी किसानों कि आय का स्रोत है।

fdlku dh o"k 2004&05 esa i'kqikyu ls vk;

rkfydk ua- 7

		कितनी आय होनी थी		कितनी आय हुई		कम आय	
पशुधन	सख्यां	10 हजार तक	10 हजार से अधिक	10 हजार तक	10 हजार से अधिक	5 हजार तक	5 हजार से अधिक
गाय	120	97	23	108	12	96	14
भैस	110	44	66	72	38	68	42
भैड़	12	4	8	8	4	8	4

गाय पालने वाले 80.83 प्रतिशत किसानों ने माना की इस वर्ष आय 10 हजार तक होगी तथा लगभग 19.17 प्रतिशत किसानों ने अनुमान लगाया की आय 10 हजार से

अधिक होगी लेकिन 90 प्रतिशत किसानों की आय 10 हजार तक हुई तथा 9.17 प्रतिशत किसानों की आय 10 हजार से अधिक हुई। इस प्रकार 10 प्रतिशत किसानों को नुकसान उठाना पड़ा जो कि एक बहुत बडी संख्या है। इसी प्रकार भैंस पालने वाले 40 प्रतिशत किसानों ने सोचा की आय 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष होगी तथा 60 प्रतिशत किसानों ने सोचा कि आय 10 हजार से अधिक होगी लेकिन 65.45 प्रतिशत किसानों की आय 10 हजार तक हुई तथा 34.54 प्रतिशत किसानों की आय 10 हजार अधिक हुई। इस प्रकार 25.46 प्रतिशत किसानों को जितनी आशा थी उससे कम आय हुई। इसी प्रकार भैड़ पालने वाले 50 प्रतिशत किसानों ने जितनी आय सोची थी उतनी नहीं हुई। स्पष्ट है कि किसान कि छोटे पशु की तुलना में चौपाया पशु से आय अधिक प्रभावित होती है।

cdjh ikyu ls vk;

rkfydk ua- 8

	कितनी आय होनी थी		कितनी आय हुई		कम आय		
	5 हजार तक	5 हजार से अधिक	5 हजार तक	5 हजार से अधिक	5 हजार तक	5 हजार से अधिक	कोई नुकसान नहीं
बकरी	66	43	77	32	58	16	35

बकरी पालने वाले किसानों की स्थिति बिलकुल अलग है। 60.55 प्रतिशत बकरी पालकों ने माना की आय 5 हजार तक होगी तथा 39.45 प्रतिशत किसानों ने माना की बकरी पालन से आय 5 हजार से अधिक होगी लेकिन 70.64 प्रतिशत किसानों की आय 5 हजार से अधिक हुई तथा 29.35 प्रतिशत किसानों की आय 5 हजार अधिक हुई इसमें से 53.22 प्रतिशत किसानों को 5 हजार तक नुकसान हुआ तथा 14.67 प्रतिशत किसानो के 5 हजार से अधिक नुकसान हुआ तथा शेष 32 प्रतिशत किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि बकरी पालन से कम नुकसान होता है।

vk; de@T;knk gksus ds dkj.k

rkfydk ua- 9

कारण	पशुपालकों की सख्यां	प्रतिशत में
बीमारी	78	40.84
पोष्टिक आहार	13	06.81
दूध की बिक्री	14	07.33
दूध की बिक्री व बीमारी	9	04.72
अकाल व चारा–पानी	53	27.74
अकाल व बीमारी	14	07.32
गर्भधारण	4	02.09
अन्य	6	03.15
कुल	**191**	**100.00**

आय कम होने के दो मुख्य कारण बताये गये। प्रथम पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियां। पशु पालने वाले किसानों में से 40.84 प्रतिशत किसानों ने बताया उन्हें जो नुकसान हुआ उसका मुख्य कारण पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियां हैं जिनका समय पर वे इलाज नहीं करवा पाते जिससे या तो पशु मर जाते हैं या दूध का उत्पादन कम हो जाता है जिससे पशु से मिलने वाला लाभ कम हो जाता है तथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।

vk; de@T;knk gksus ds dkj.k

xzkiQ &5

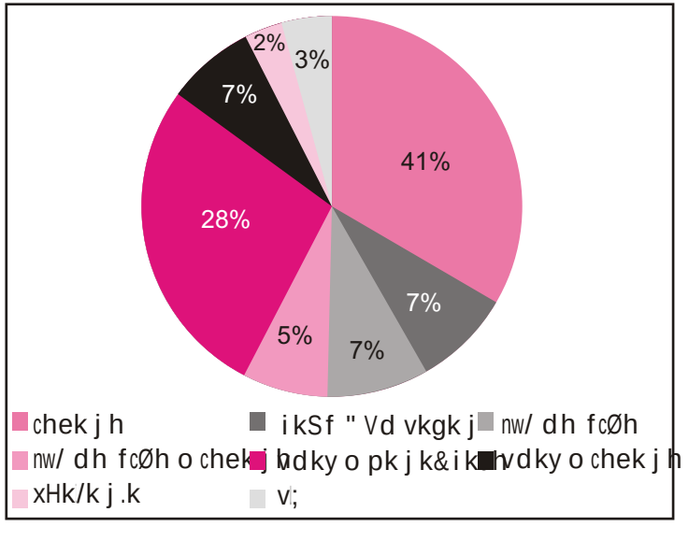

अन्य कारण यह है कि अकाल पड़ जाने से चारे–पानी की कमी रहती है, जिसके कारण दूध का उत्पादन कम हो जाता है तथा पशुपालक को नुकसान उठाना पड़ता है इसमें अतिरिक्त और भी कारण हैं जिनके कारण पशुपालको को नुकसान उठाना पड़ता है जैसे :–

पोष्टिक आहार की कमी, दूध की बिक्री आदि के कारण पशुपालक को नुकसान पहुँचाते हैं।

फसल के बारे में जानकारी

तालिका नं. 10

फसल	कितने बीघा में बोई गई	किसान	पैदावार होनी थी (क्व. प्रति हैक्टर)	पैदावार हुई (क्व. प्रति हैक्टर)	पैदावार 4–5 (क्व. प्रति हैक्टर)
1	2	3	4	5	6
मक्का	आठ तक	52	3.62	2.02	1.60
	आठ से अधिक	8	3.18	1.59	1.62
बाजरा	आठ तक	89	2.81	1.73	1.08
	आठ से अधिक	16	2.40	0.97	1.43
मूंगफली	आठ तक	11	3.56	2.31	1.25
	आठ से अधिक	0	0	0	0
मूंग	आठ तक	29	1.99	0.65	1.34
	आठ से अधिक	0	0	0	0
ग्वार	आठ तक	61	2.15	1.03	1.12
	आठ से अधिक	8	1.51	0.55	0.99
तिल	आठ तक	24	1.73	0.78	0.95
	आठ से अधिक	0	0	0	0
सरसों	आठ तक	0	0	0	0
	आठ से अधिक	62	3.43	2.82	0.61
गेंहूँ	आठ तक	0	0	0	0
	आठ से अधिक	72	7.15	4.57	2.61

सर्वे के दौरान मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, ग्वार, तिल, सरसों, गेंहूँ उगाने वाले किसानों से आंकड़े एकत्र किए गए।

पैदावार कम/ज्यादा होने के कारण

तालिका नं. 11

कारण	सख्यां	प्रतिशत में
कम वर्षा	113	56.50
कम वर्षा व रोग	15	7.50
सिंचाई व अच्छा खाद बीज	19	9.50
रोग और कम बिजली	18	9.00
ज्यादा बारिस	10	5.00
ज्यादा बारिस व कम बिजली	12	6.00
ज्यादा बारिस व जंगली जानवर	13	6.50
योग	**200**	**100.00**

किसानों के अनुसार फसल का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण वर्षा का कम होना और समय पर नहीं होना है क्योंकि समय पर बरसात नहीं होने के कारण पैदावार कम होती है तथा जितना किसान सोचता है उससे कम पैदावार होती है। इसके अलावा और भी कारण हैं जो पैदावार को प्रभावित करते हैं, जैसे –फसलों में रोग का लगना, सिंचाई की सुविधा का कम होना, अच्छे खाद और बीज का नहीं होना, बिजली का समय पर नहीं आना, ज्यादा बारिस का होना तथा जंगली जानवर भी फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

iSnkokj de@T;knk gksus ds dkj.k

xzkiQ &6

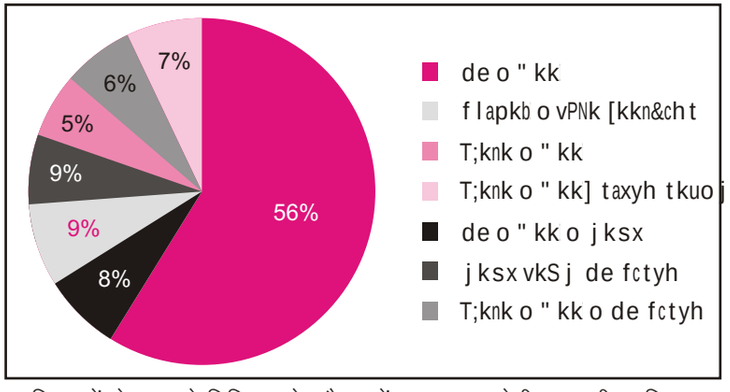

किसानों के आय के विभिन्न स्त्रोत है इसमें पशुपालन, खेती, मजदूरी, कृषिगत आय व अन्य आय आदि हैं, इससे हमने देखा की पशुपालन से जो आय होती है वह कृषि की आय की तुलना में कम प्रभावित होती है।

किसानों की आय के विभिन्न स्रोत

तालिका नं. 12

आय के स्रोत	कितनी आय होनी थी		कितनी आय हुई		
	50 हजार तक	50 हजार से अधिक	50 हजार तक	50 हजार से अधिक	कोई आय नहीं (2+3)–(4+5)
1	2	3	4	5	6
खेती से	110 (55.0)	90 (45.0)	168 (84.0)	22 (11.0)	10 (05.0)
पशुपालन से	165 (86.4)	26 (13.6)	170 (89.0)	14 (07.3)	7 (03.7)
अन्य कृषि गतिविधि से					
मजदूरी से	79 (90.8)	9 (09.2)	83 (95.4)	5 (04.6)	0
कृषिगत सेवा से	17 (56.7)	13 (43.3)	21 (70.0)	9 (30.0)	0
अकृषिगत	5 (62.5)	3 (37.5)	6 (75.0)	2 (25.0)	0

कोष्टक में दिए गये आंकड़े प्रतिशत में

कृषिगत गतिविधियों में 55.0 (110) प्रतिशत किसानों ने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष आय 50 हजार तक होगी वहीं 45.0 (90) प्रतिशत किसानों ने सोच था कि आय 50 हजार से अधिक होगी लेकिन 84.0 (168) प्रतिशत किसानों की आय 50 हजार तक हुई तथा 11.0 (22) प्रतिशत किसानों की आय 50 हजार से अधिक हुई। 34.0 (68) प्रतिशत किसानों की आय अत्यधिक प्रभावित हुई क्योंकि उन्होंने यह आशा की थी कि उनकी आय 50 हजार से अधिक होनी थी लेकिन आय बहुत कम हुई जबकि जिस वर्ष आकड़ें एकत्र किए थे उस वर्ष फसल उत्पादन अच्छा हुआ था फिर भी किसानों कि आय प्रभावित हुई।

इस प्रकार पशुपालन से 86.4 प्रतिशत किसानों का सोचना था की उनकी आय पशुपालन से 50 हजार तक होगी तथा 13.6 प्रतिशत किसानों का अनुमान था की आय 50 हजार से अधिक होगी लेकिन 89.0 प्रतिशत किसानों की आय 50 हजार तक हुई तथा 7.3 प्रतिशत किसानों की आय 50 हजार से अधिक हुई एवं 3.7 प्रतिशत किसानों को कोई आय नहीं हुई।

किसानो की बीमा के बारे में जानकारी

तालिका नं. 13

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	18	9.00
हां	182	91.00
योग	**200**	**100.00**

किसानों से यह मालूम किया गया कि क्या वे बीमा के बारे में जानते हैं तो 9 प्रतिशत किसानों ने बताया की वे बीमा के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन 91 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे बीमा के बारे में जानते हैं उनको केवल यही जानकारी थी कि बीमा से नुकसान होने पर मुआवजा मिलता है।

लेकिन किसानों से यह मालूम किया गया कि वे किस बीमा के बारे मे जानते हैं तो मालूम हुआ कि ये सभी किसान जीवन बीमा के बारे में जानते हैं। पशु बीमा के बारे में 62.08 प्रतिशत किसान ही जानते हैं कृषि बीमा के बारे में 87.61 प्रतिशत किसान जानतें हैं वाहन बीमा के बारे में 76.92 प्रतिशत किसानों को जानकारी थी तथा अन्य किसी बीमा बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं थी।

किसानों ने विभिन्न बीमा के बारे में कहां से सुना इसके बारे में जानकारी ली गई तो 182 किसान जो बीमा के बारे में जानते थे उनमें से 87 किसानों ने बताया की उन्होंने बीमा के बारे में बैंक से सुना है। स्वयंसेवी संस्था से बीमा के प्रचार की जानकारी केवल 9 किसानों को थी।

fdlku dh chek ds ckj s esa tkudkj h ds fof Hku lzksr

rkfydk ua- 14

स्रोत	किसानो की सख्यां
बैंक	87
स्वयं सेवी संस्था	9
सहकारी समिति	107
ग्राम पंचायत से	64
अन्य साथी/किसान	120
रेडियो	20
अखबार	62
पोस्टर	55
टेलीविजन	44
अन्य	**58**

सहकारी समितियां 107 किसानों को बीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकी। ग्राम पंचायत भी 64 किसानों को बीमा के बारे में जानकारी दे सकी। 120 किसानों को बीमा के बारे में सही जानकारी अपने साथी किसान से ही मिल सकी। रेडियो भी कुछ प्रचार का माध्यम रहा तथा 20 प्रतिशत किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सका। अखबार से 62 किसानों को बीमा के बारे में जानकारी मिली। बीमा के पोस्टर भी जारी किये गये थे इसलिए 55 किसानों को बीमा की जानकारी पोस्टर के माध्यम से हुई। 44 किसानों को टेलिविजन से बीमा के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा 58 किसानों को बीमा के बारे में जानकारी अन्य साधनों के माध्यम से हुई।

किसान की बीमा के बारे में धारणा

बीमा के बारे में जानने वाले सभी किसानों ने कहा की यह एक अच्छी योजना है। इसमें से 7.69 प्रतिशत किसानों ने बताया की बीमा से कोई लाभ नहीं है लेकिन 92.30 प्रतिशत किसानों ने कहा की बीमा से लाभ होता है।

बीमा से लाभ

तालिका नं. 15

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	14	07.69
हां	168	92.30
योग	**182**	**100.00**

किसानों के अनुसार बीमा से लाभ

बीमा से क्या लाभ है तो इसके उत्तर में अधिकतर किसानों ने कहा है नुकसान होने पर मुवावजा मिलता है ।

पशु बीमा

तालिका नं. 16

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	85	89.47
हां	10	10.53
योग	**95**	**100.00**

किसानों से जब यह जानकारी ली गई कि क्या किसान ने पशु बीमा करवाया है तो पता चला कि मात्र 10.53 प्रतिशत किसानों ने ही पशु का बीमा करवाया बाकि 89.47 प्रतिशत किसानों ने पशु बीमा नहीं करवाया।

पशु का बीमा नहीं करवाने के कारण

तालिका नं. 17

विवरण	सख्यां
पशु बीमा के बारे में जानकारी नहीं है।	82
पशु बीमा करवाना जरूरी नहीं समझा	63
प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं है	12
पशु बीमा स्कीम का सही प्रचार नहीं	85
पशु बीमा कहां होता है मालूम नहीं	62

किसानों से यह राय ली गई की पशु बीमा क्यों नहीं करवाया तो 85 किसान जिन्होने पशु बीमा नहीं कराया उन में से 82 किसानों ने बताया की पशु बीमा के बारे में जानकारी नहीं है 63 किसानों ने बताया की पशु बीमा करवाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि वे अपने पशु को किसी अन्य को बेच देते हैं इसलिए बीमा करवाना उचित नहीं समझा। 12 किसानों ने बताया की उनकी प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं है इसलिए बीमा नहीं करवाया। 85 किसानों ने बताया की पशु बीमा स्कीम का सही प्रचार नहीं है जिससे किसान पशु बीमा करवाने में कम रूचि लेते हैं। 62 किसानों को यह नहीं मालूम कि बीमा कहां होता है जिसके कारण वे पशु बीमा नहीं करवा सके।

पशु का बीमा करवाने के कारण

तालिका नं. 18

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
ऋण लिया इस लिए जरूरी था	7	70.00
वित्तीय सुरक्षा के लिए	3	30.00

10 (10.53 प्रतिशत) किसान जिन्होंने पशु बीमा करवाया था उनसे जानकारी ली गई कि उन्होने पशु बीमा क्यों करवाया तो 7 (70 प्रतिशत) किसानों ने बताया की ऋण लिया इसलिए जरूरी था और पशु बीमा करवाना पड़ा। 3 (30 प्रतिशत) किसानों ने बताया की वित्तीय सुरक्षा के लिए पशु बीमा करवाया था पशु यदि मर जाता है तो उससे हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

प्रीमियम के बारे में जानकारी

तालिका नं. 19

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
बहुत ज्यादा	6	60.00
कम है	0	00.00
सही है	2	20.00
मालूम नहीं	2	20.00

किसानों द्वारा देय प्रीमियम के बारे में जानकारी ली गई तो किसान प्रीमियम कितना होनी चाहिए के बारे में सही जवाब नहीं दे सके लेकिन 6 (60 प्रतिशत) किसानों ने बताया की जो प्रीमियम दे रहे हैं वह बहुत अधिक है जबकि किसी भी किसान ने नहीं कहा की प्रीमियम कम है। 20 प्रतिशत किसानों ने कहा कि प्रीमियम ठीक है लेकिन 20 प्रतिशत किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया।

किसान को पशु बीमा से लाभ मिला या नहीं

तालिका नं. 20

मत	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	8	80.00
हां	2	20.00

8(80 प्रतिशत) किसानों ने कहा की इस पशु बीमा से कोई लाभ नहीं हुआ तथा 2 (20 प्रतिशत) किसानों ने कहा की पशु बीमा से लाभ हुआ है।

किस - किस पशु का बीमा करवाया था/है

तालिका नं. 21

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
गाय	3	30.00
भैंस	6	60.00
बकरी	1	10.00
भैड़	0	0
अन्य	0	0

यह जानकारी ली कि किस पशु का बीमा करवाया गया तो मालूम हुआ कि किसान द्वारा भैंस का बीमा करवाना ज्यादा अच्छा समझा। भैंस के मरने से किसान को अन्य पशु की तुलना में ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि भैंस की कीमत ज्यादा होती है।

किसान ने फसल बीमा करवाया या नहीं

तालिका नं. 22

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	96	48.00
हां	104	52.00

अध्ययन से यह सामने आया कि 48 प्रतिशत किसानों ने फसल बीमा नहीं करवाया तथा 52 प्रतिशत किसानों ने ही फसल बीमा करवाया। 48 प्रतिशत में वे किसान भी हैं जो फसल बीमा के बारे में नहीं जानते।

ग्राफ -7

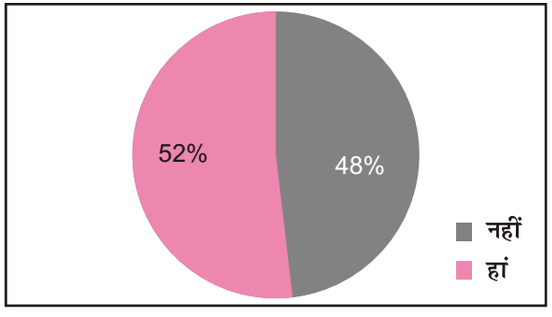

किसान द्वारा फसल बीमा नहीं करवाने के कारण

तालिका नं. 23

विवरण	सख्यां
फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं है	43
फसल बीमा करवाना जरूरी नहीं समझा	27
प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं है	4
फसल बीमा स्कीम का सही प्रचार नहीं	49
फसल बीमा कहां होता है मालूम नहीं	44
आस–पास बैंक सुविधा नहीं	3
बैककर्मियों के व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं	2
फार्म भरना असुविधाजनक	2
फसल बीमा योजना में विश्वास नहीं	4
मुआवजा मिलने में देरी	53

फसल बीमा नहीं करवाने वाले किसानों में से 43 किसानों ने कहा की फसल बीमा की जानकारी नहीं है इसलिए बीमा नहीं करवाया। बीमा नहीं करवाने वाले किसानों में से 27 किसानों ने बीमा करवाना जरूरी नहीं समझा तथा 4 किसानों ने बताया की उनकी प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं है क्योंकि उन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया। इसके अतिरिक्त 49 किसानों का कहना था की फसल बीमा का सही प्रचार प्रसार नहीं है इसके अतिरिक्त 53 किसानों ने बताया की मुआवजा मिलने में देरी होती है इसलिए बीमा नहीं करवाया ।

किसान द्वारा फसल बीमा करवाने के कारण

तालिका नं. 24

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
ऋण लिया इसलिए जरूरी था	92	89.41
वित्तीय सुरक्षा के लिए	12	10.39

फसल बीमा क्यों करवाया? यह जानने पर 89.41 प्रतिशत किसानों ने बताया की ऋण लिया इसलिए फसल बीमा करवाया गया। 10.39 प्रतिशत किसानों ने बताया की पैसे की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया गया।

छोटे किसान (8 बीघा तक) को फसल बीमा करवाने पर बीमा के प्रीमियम में अनुदान के बारे में जानकारी

तालिका नं. 25

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	142	90.44
हां	15	9.56
योग	**157**	**100.00**

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे किसान को प्रीमियम पर अनुदान मिलता है। परन्तु फसल बीमा जानने वाले किसानों में से 90.44 प्रतिशत किसानों को नहीं मालूम की छोटे किसानों को अनुदान भी मिलता है, जबकि मात्र 9.56 प्रतिशत किसानों ने बताया की अनुदान के बारे में जानकारी है।

फसल बीमा प्रीमिमय कैसे तय किया जाता है ?

तालिका नं. 26

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	153	97.45
हां	4	2.55

97.45 प्रतिशत किसानों को नहीं मालूम की प्रीमियम कैसे तय किया जाता है मात्र 2.55 प्रतिशत किसान जो शहर के नजदीक हैं तथा जिनका बैंक से सम्पर्क रहता है वे किसान ही जानते हैं की प्रीमियम कैसे तय किया जाता है।

फसल बीमा का प्रीमियम कैसा है

तालिका नं. 27

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
बहुत ज्यादा	11	10.57
कम है	0	0.00
सही है	3	2.88
मालूम नहीं	90	86.53
योग	**104**	**100.00**

किसानों से फसल बीमा प्रीमियम के बारे में जानकारी ली गई तो 10.57 प्रतिशत किसानों ने बताया कि जो प्रीमियम दे रहे हैं वह बहुत ज्यादा है 2.98 प्रतिशत किसानों ने बताया कि जो प्रीमियम दे रहे हैं वह सही है क्योंकि ये सम्पन्न किसान हैं तथा 86.53 प्रतिशत किसानों को यह मालूम ही नहीं कि प्रीमियम कम है या ज्यादा जो बैंक ने काट लिया वह सही है।

फसल बीमा का प्रीमियम कैसा है

ग्राफ - 8

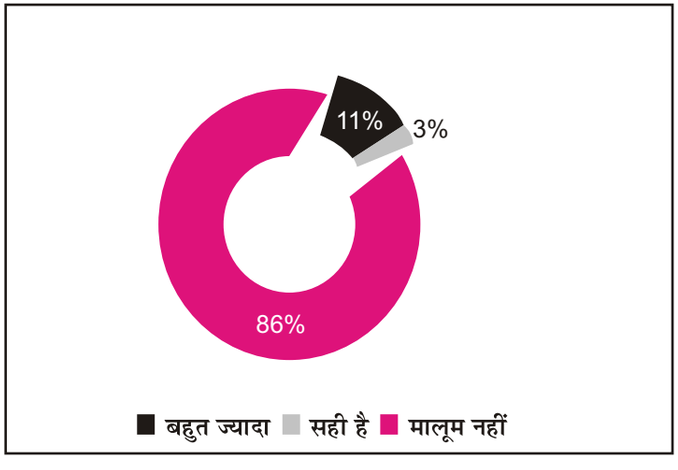

खरीफ या रबी 2003 मे फसल ऋण लिया या नहीं

तालिका नं. 28

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	141	70.88
हां	59	29.12

किसानों से यह जानकारी ली गई की क्या उन्होंने खरीफ या रबी 2003 में ऋण लिया था खरीफ या रबी 2003 में मात्र 59 (29.12 प्रतिशत) किसानों ने ही फसली ऋण लिया शेष 70.88 प्रतिशत किसानों नें फसली ऋण नहीं लिया।

फसली ऋण नहीं लेने पर भी फसल बीमा

तालिका नं. 29

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	134	95.03
हां	7	4.97

किसान से यह जानकारी ली गई की फसली ऋण नहीं लेने के बाद भी क्या किसान ने फसल बीमा करवाया है तो 70.88 प्रतिशत ऋण नहीं लेने वाले किसानों में से केवल 4.97 प्रतिशत किसानों ने ही कृषि बीमा करवाया। बीमा करवाने का कारण अधिकतर किसानों ने बताया की ऋण एवं उत्पादन की सुरक्षा के लिए फसल बीमा करवाया गया।

किसानों से यह जानकारी ली गई की फसली ऋण नहीं लेने पर भी फसल बीमा क्यों करवाया

अधिकतर किसानों ने बताया की ऋण और उत्पादन की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया गया

खरीफ या रबी 2004 में फसल ऋण के बारे में जानकारी

तालिका नं. 30

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	104	52.17
हां	96	47.82

खरीफ या रबी 2003 मे लिए गए फसल ऋण की तुलना में खरीफ अथवा रबी 2004 में अधिक ऋण लिया गया। खरीफ अथवा रबी 2004 में 52.17 प्रतिशत किसानों

ने ऋण नहीं लिया तथा 47.82 प्रतिशत किसानों ने ऋण लिया वहीं ऋण नहीं लेने वाले किसानों में से 8.33 प्रतिशत किसानों ने बीमा करवाया तथा 91.67 प्रतिशत किसानों ने बीमा नहीं करवाया।

फसली ऋण नहीं लेने पर भी फसल बीमा

तालिका नं. 31

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	95	91.67
हां	9	8.33

इसी प्रकार खरीफ या रबी 2003 मे फसली ऋण नहीं लेने पर भी फसल बीमा करवाने वालों का हिस्सा खरीफ अथवा रबी 2004 में अधिक पाया गया।

फसल बीमा का सही लाभ नहीं मिलने के कारण खेती के अलावा दूसरा कार्य करने के बारे में जानकारी

तालिका नं. 32

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
नहीं	36	18.00
हां	164	82.00

समय पर बरसात नहीं होने, पानी की कमी, छोटे होते खेत, खाद–बीज की बढ़ती कीमतें, उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलने के कारण खेती करना अब लाभदायक नहीं रहा इसलिए 82 प्रतिशत किसान खेती के अलावा अन्य कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं।

फसल बीमा का सही लाभ नहीं मिलने के कारण खेती के अलावा दूसरा कार्य करने के बारे में जानकारी

ग्राफ-9

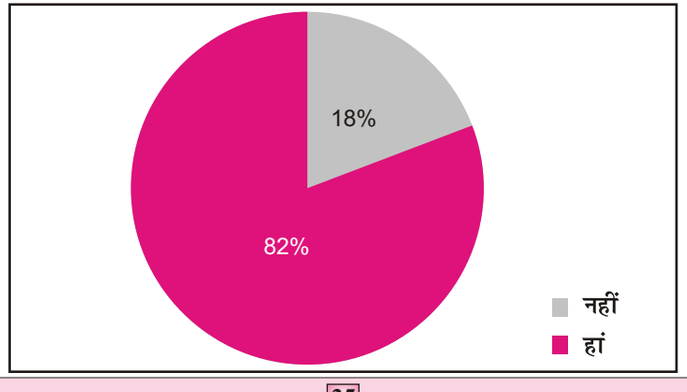

कौनसा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं ?

तालिका नं. 33

विवरण	सख्यां	प्रतिशत में
दुकान	3	1.83
मालूम नहीं	161	98.17

खेती की जगह दूसरा काम करने के बारे में मात्र 1.83 प्रतिशत किसानों ने ही अन्य कार्य करने के बारे में निश्चित किया है, इसके विपरीत 98.17 प्रतिशत किसान यह निश्चित नहीं कर पा रहे की वे क्या कार्य करें।

किसानों से यह जानकारी चाही गई कि जीवन बीमा, पशु बीमा व फसल बीमा के अलावा आप किस चीज का बीमा करवाना चाहते हो, तो बीमा के बारे के आधारभूत जानकारी नहीं होने के कारण किसान यह नहीं सोच पा रहा है कि जीवन बीमा, फसल बीमा एवं पशु बीमा के अलावा और किसका बीमा करवाया जाए।

वर्तमान पशु बीमा / फसल बीमा योजना के बारे में किसानों के विचार

सभी किसानों ने जो फसल बीमा के बारे में जानकारी रखते हैं उनसे फसल बीमा के बारे में सुझाव मांगे गये तो विभिन्न किसानों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं :–

1. फसल बीमा का सही तरीके से प्रचार किया जाए।
2. फसल बीमा कैसे किया जाता है इसके बारे में किसानों को सही ढंग से जानकारी दी जाए।
3. बैंक में खाता खुलवाने की अनिवार्यता को खत्म किया जाए पहले से ही जिस बैंक में खाता है उसी खाते में किसान का मुआवजा जमा करा दिया जाए।
4. मुआवजे का भुगतान अधिकतम 60 दिन के अन्दर कर देना चाहिए जिससे किसान पैसों का सही समय पर सही उपयोग कर सकें।
5. खेत में जो फसल बोई गई है उसी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए।
6. मुआवजे का निर्धारण ग्राम पंचायत स्तर पर होना चाहिए।
7. पशु बीमा के बारे में जानकारी किसानों तक पहुँचानी चाहिए।
8. पशुओं से होने वाले उत्पादन का भी बीमा होना चाहिए। (जैसे–दूध, ऊन उत्पादन आदि)

पशु बीमा / फसल बीमा के बारे में महिला किसानों के सुझाव

राजस्थान में खेती का लगभग 60 प्रतिशत कार्य महिला किसान करती हैं, लेकिन सबसे रोचक जानकारी यह है कि किसी भी महिला किसान को फसल बीमा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।

rkfydk ua- 34

[kjhiQ 2003&04 ([illegible])

Øa-	la-	ftys dk uke		chfer d`"kd	
1	अजमेर	257	0	81743.38	0
2	अलवर	11	0	1489.62	0
3	बांसवाड़ा	4271	120	274550.49	147145.57
4	बारां	55	0	3690.00	0
5	बाड़मेर	1503	0	457750.54	0
6	भरतपुर	913	0	355623.38	0
7	भीलवाड़ा	402	0	162902.58	0
8	बीकानेर	1282	13	1015974.42	4179.81
9	बून्दी	55	0	15665.00	0
10	चित्तौड़गढ़	1197	0	389158.96	0
11	चूरू	719	0	121839.34	0
12	दौसा	191	0	42348.33	0
13	धौलपुर	64	0	23952.67	0
14	डूंगरपुर	338	0	82353.38	0
15	हनुमानगढ	2232	0	1497984.92	0
16	जयपुर	1202	0	438826.00	0
17	जैसलमेर	520	0	162866.58	0
18	जालौर	61	0	8878.58	0
19	झालावाड़	3	0	103.13	0
20	झुन्झुनु	8	0	4106.55	0
21	जोधपुर	628	103	187471.22	54844.86
22	करोली	96	10	37029.27	1042.05
23	कोटा	5	0	700.00	0
24	नागौर	1479	10	555860.26	0
25	पाली	133	0	46858.19	0
26	राजसमंद	118	0	42175.70	0
27	सीकर	46	0	23564.50	0
28	सिरोही	34	0	5414.53	0
29	श्रीगंगानगर	2743	0	3228660.92	0
30	स. माधोपुर	60	13	28571.55	40093.66
31	टोंक	466	0	105052.09	0
32	उदयपुर	79	0	15787.50	0
	योग	**21171**	**259**	**9418953.58**	**247305.95**

rkfydk ua- 35

jch 2003&04 ([illegible])

Øa-	la-	ftys dk uke		chfer d`"kd	
1	अजमेर	3	0	1275.00	0
2	अलवर	1030	0	305836.26	0
3	बांसवाड़ा	180	5	40521.38	8659.44
4	बारां	0	0	0.00	0
5	बाड़मेर	432	0	87700.19	0
6	भरतपुर	604	0	265450.00	0
7	भीलवाड़ा	324	0	68636.69	0
8	बीकानेर	1672	156	598353.31	393834.19
9	बून्दी	43	0	15694.05	0
10	चित्तौड़गढ़	31047	0	96334.20	0
11	चूरू	218	45	104679.90	108518.73
12	दौसा	223	11	72885.63	463.92
13	धौलपुर	0	0	0.00	0
14	डूंगरपुर	990	410	13545.55	232755.83
15	हनुमानगढ़	57	15	0.00	186211.6
16	जयपुर	1469	55	350608.28	196329.07
17	जैसलमेर	18	0	1971.60	0
18	जालौर	24	0	16413.00	0
19	झालावाड़	0	0	0.00	0
20	झुन्झुनु	120	0	13545.55	0
21	जोधपुर	0	0	0.00	0
22	करोली	38	0	6453.61	0
23	कोटा	0	0	0.00	0
24	नागौर	398	0	131436.78	0
25	पाली	88	0	26557.00	0
26	राजसमंद	7	0	1050.00	0
27	सीकर	347	38	63298.81	44213.47
28	सिरोही	130	0	29963.00	0
29	श्रीगंगानगर	50	0	27125.90	0
30	स. माधोपुर	59	0	11401.20	0
31	टोंक	33	3	16173.71	1431.82
32	उदयपुर	131	0	16570.50	0
	योग	**39735**	**738**	**2514617.90**	**1172418.07**

rkfydk ua- 36

[kjhQ 2004&05 ([illegible])

Øa-	la-	ftys dk uke		chfer d` "kd	
1	अजमेर	70950	24729	10241231.00	53748114.40
2	अलवर	88991	19060	14620806.90	31368406.70
3	बांसवाड़ा	36706	7087	6908202.84	6958029.88
4	बारां	27028	0	20937771.50	0.00
5	बाड़मेर	66368	64995	26158540.60	479102281.00
6	भरतपुर	103464	28150	26854982.90	53902568.40
7	भीलवाड़ा	48206	87	8428173.10	201618.47
8	बीकानेर	26334	8968	17487757.10	63341230.10
9	बून्दी	17051	1130	7877437.30	34148.67
10	चित्तौड़गढ़	58415	10188	16114533.90	7253521.70
11	चूरू	63744	35437	9742358.10	80682011.60
12	दौसा	35304	0	11272984.80	0.00
13	धौलपुर	19090	0	3933428.76	0.00
14	डूंगरपुर	15440	1428	3624032.93	15547409.80
15	हनुमानगढ़	32122	6733	9046399.42	14926839.80
16	जयपुर	91929	11466	30793210.00	41330502.70
17	जैसलमेर	8499	7558	3152270.57	77009522.70
18	जालौर	36647	15346	15374425.20	105176047.00
19	झालावाड़	43617	61	18616403.60	29145.23
20	झुन्झुनु	36475	6396	18883686.00	29477389.20
21	जोधपुर	76061	29835	20120332.90	148476673.00
22	करोली	26866	3536	8593647.23	16443791.10
23	कोटा	27896	0	18527446.60	0.00
24	नागौर	86844	8560	25006796.40	27389155.50
25	पाली	49987	4512	13395291.60	5246567.29
26	राजसमंद	19422	2138	2056785.97	2735542.58
27	सीकर	118284	11079	30080337.00	2890171.41
28	सिरोही	12297	6726	5696409.48	28016720.60
29	श्रीगंगानगर	11437	1506	3242908.79	4919901.84
30	स. माधोपुर	37603	0	11904847.90	0.00
31	टोंक	79939	10282	11985850.10	33520121.20
32	उदयपुर	24822	3107	3808778.33	690034.36
	योग	**1497838**	**330100**	**434488038.82**	**1330417466.23**

rkfydk ua- 37

jch 2004&05 ([illegible])

Øa-	la-	ftys dk uke		chfer d` "kd	
1	अजमेर	5401	134	1128447.64	673067.69
2	अलवर	67537	8056	8483384.65	2706034.49
3	बांसवाड़ा	2007	321	384818.19	20627.59
4	बारां	15009	1374	6442158.70	3061377.18
5	बाड़मेर	10887	7357	5902748.80	19803032.40
6	भरतपुर	46835	14	9573224.88	27983.54
7	भीलवाड़ा	3463	2	732081.45	657.53
8	बीकानेर	6642	540	2841300.93	2185293.44
9	बून्दी	4508	0	1915767.49	0.00
10	चित्तौड़गढ़	6744	0	1770708.97	0.00
11	चूरू	11672	1285	3162002.21	9254016.97
12	दौसा	8789	1977	2126704.67	4388497.39
13	धौलपुर	5331	713	1239046.8	517661
14	डूंगरपुर	3363	402	355960.72	1350142.12
15	हनुमानगढ़	8116	98	4435538.50	173431.89
16	जयपुर	22296	1748	4421582.88	3917278.31
17	जैसलमेर	3652	701	1742632.38	2396261.99
18	जालौर	31175	225	13804838.00	882206.29
19	झालावाड़	9534	0	3135399.43	0.00
20	झुन्झुनु	21908	6656	5527345.14	29159194.4
21	जोधपुर	15132	351	5328958.67	393836.81
22	करोली	11222	402	1925805.51	54978.44
23	कोटा	7142	0	2965778.98	0.00
24	नागौर	14413	3050	5214041.34	4213839.95
25	पाली	19075	1371	4870204.80	4739464.54
26	राजसमंद	59	0	9369.00	0.00
27	सीकर	16421	966	398963.96	568986.39
28	सिरोही	7054	4227	1639453.62	5472583.71
29	श्रीगंगानगर	11060	317	4561169.99	242821.60
30	स. माधोपुर	31239	284	3897688.83	678627.06
31	टोंक	16656	3457	2851148.25	5973473.85
32	उदयपुर	850	256	140950.25	106320.53
	योग	**445192**	**46284**	**116519898.60**	**102961697.10**

rkfydk ua- 38

[kjhiQ 2005&06 (ह्मह्ढ़%ह्न ॅ ह्न;ह्य ह्ढ़ह्यइ)

Øa- la-		ftys dk uke		chfer d` "kd	
1	अजमेर	92586	77607	11070946.30	226445000.00
2	अलवर	98343	16074	17032823.30	19155833.20
3	बांसवाड़ा	34011	2759	6661556.19	4980386.06
4	बारां	17542	0	14586186.60	0.00
5	बाड़मेर	94002	82772	35039165.10	478029497.00
6	भरतपुर	101599	1682	27658833.60	1383215.96
7	भीलवाड़ा	80378	61931	13591036.10	192517143.00
8	बीकानेर	37336	14117	19673018.30	43800231.10
9	बून्दी	12832	0	10058803.40	0.00
10	चित्तौड़गढ़	66754	7401	18277360.20	13422121.50
11	चूरू	88692	54455	12397267.90	120447847.00
12	दौसा	13533	505	4499760.26	427656.07
13	धौलपुर	4983	0	1823821.87	0.00
14	डूंगरपुर	17912	11105	3224094.66	42380517.30
15	हनुमानगढ़	16946	53	5334543.33	160370.49
16	जयपुर	96323	19554	31919306.30	53978542.50
17	जैसलमेर	12313	8424	6658968.19	104316985.00
18	जालौर	47526	14610	17231458.00	96881873.80
19	झालावाड़	50778	85	23357700.40	19974.88
20	झुन्झुनु	60700	15527	16323974.40	24257713.50
21	जोधपुर	118941	103899	32304200.70	457491863.00
22	करोली	29299	0	10238515.00	0.00
23	कोटा	16856	0	14252560.10	0.00
24	नागौर	109762	29334	24622037.40	59362360.30
25	पाली	67724	45534	10969148.60	107158921.00
26	राजसमंद	13025	2649	1970726.41	8738794.33
27	सीकर	82322	13038	33243269.90	87716820.30
28	सिरोही	14150	1219	4413766.78	1404955.86
29	श्रीगंगानगर	6306	0	1160060.41	0.00
30	स. माधोपुर	41633	0	13706541.00	0.00
31	टोंक	102244	20263	14893770.70	14767584.80
32	उदयपुर	19609	3664	3888586.60	2890734.23
	योग	**1666960**	**608259**	**462083808.00**	**2162136942.00**

rkfydk ua- 39

jch 2005&06 (ह्मह्ढ़%ह्न ॅ ह्न;ह्य ह्ढ़ह्यइ)

Øa- la-		ftys dk uke	chfer d` "kd	izhfe;e
1	अजमेर	11454	2222314.05	43362.70
2	अलवर	84597	13749542.25	462923.25
3	बांसवाड़ा	22905	3587513.03	270409.79
4	बारां	12060	7109223.06	65814.70
5	बाड़मेर	55819	39931812.13	139773.23
6	भरतपुर	69122	18157278.55	518616.12
7	भीलवाड़ा	3740	819890.32	19934.27
8	बीकानेर	14052	6685591.99	922.22
9	बून्दी	5835	2759155.55	51383.16
10	चित्तौडगढ़	9524	2509360.39	51289.22
11	चूरू	28052	8216992.38	4079.26
12	दौसा	6695	1907796.38	49920.89
13	धौलपुर	4894	1667891.28	104083.95
14	डूंगरपुर	3190	180456.87	35982.29
15	हनुमानगढ़	18875	6286746.46	39116.62
16	जयपुर	35009	7145902.13	179183.43
17	जैसलमेर	8103	5567815.79	0.00
18	जालौर	50243	21082124.37	283592.88
19	झालावाड़	8201	4340724.84	61757.99
20	झुन्झुनु	39394	8631238.38	102805.16
21	जोधपुर	32738	11665129.78	78374.59
22	करोली	11597	2868371.11	81627.86
23	कोटा	7347	4587808.71	34848.47
24	नागौर	17276	720120.08	24534.56
25	पाली	31993	6104175.73	3788.96
26	राजसमंद	79	14007.45	45.00
27	सीकर	12685	3281297.28	59263.98
28	सिरोही	10928	2856127.74	123057.61
29	श्रीगंगानगर	20417	6158148.75	33143.71
30	स. माधोपुर	21912	3626033.45	54437.16
31	टोंक	11329	3280813.51	16722.55
32	उदयपुर	300	71444.22	2134.33
	योग	**670365**	**207792848.01**	**2996929.91**

फसल कृषिकर्म पर राज्य का राजस्व व्यय

तालिका नं. 40

राशि लाखों में

विषय	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06**	2006-07*
निदेशन एंव प्रशासन	4642.02	6518.10	6653.90	7140.64	7459.78	7313.56	7915.09	6272.83	8750.39	9223.19
बीज	86.18	123.56	131.26	114.37	115.25	108.73	120.56	137.17	132.21	171.04
खाद एंव उर्वरक	273.24	354.64	369.59	404.94	342.95	334.42	348.16	397.49	422.60	530.02
वनस्पति रक्षण	18.30	22.99	25.75	26.22	23.15	23.35	21.56	20.22	38.13	46.63
वाणिज्यिक फसले	2991.45	3452.08	1805.76	2455.83	3182.57	2967.27	3248.35	3366.46	6922.00	7095.30
विस्तार तथा किसानो को प्रशिक्षण	448.96	553.30	403.74	421.31	425.95	426.51	468.64	434.07	1041.10	1572.20
फसल बीमा	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**85.19**	**81.00**	**202.02**
कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी	76.42	98.28	99.30	99.47	100.89	101.80	105.38	110.42	128.40	135.40
कृषि इन्जीनियरी	188.66	179.02	104.47	59.11	1.98	5.00	0.00	0.00	65.09	57.00
बागवानी तथा वनस्पति फसलें	1064.13	1272.18	1150.98	951.07	1159.41	1050.31	1166.08	1444.76	2059.60	1520.36
जिला परि./जिला स्तर की पचा. को सहा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2135.73	0.03	0.09
ब्लाक पचों/ मध्यवर्ती स्तर की पचा. को सहा.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	15.00	15.00
अनु. जातियों के लिए विशिष्ठ संघटक योजना	840.18	553.96	253.07	419.44	481.71	448.90	638.66	708.71	2227.85	2412.41
जनजातीय क्षेत्र उप योजना	840.55	1019.69	894.44	876.35	976.91	926.30	1095.15	956.99	1888.65	2031.62
अन्य व्यय	1395.58	0.00	639.07	949.94	31.15	42.49	18.07	125.88	14062.69	2948.58
योग	**12865.67**	**14147.80**	**12531.33**	**13918.69**	**14301.7**	**13748.64**	**15929.25**	**16203.48**	**37834.74**	**27960.86**

स्रोत : बजट पुस्तिका वर्ष 1997–98 से वर्ष 2006–07 * बजट अनुमान **संशोधित अनुमान

फसल बीमा पर राजस्व व्यय

तालिका नं. 41

राशि लाखों में

विषय	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बजट अनुमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10.01	36.01	202.02
संशोधित अनुमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	87.00	81.00	
लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.19		

स्रोत : बजट पुस्तिका वर्ष 1997–98 से वर्ष 2006–07